B.A. I Hons Paper II
Group—"B"

सभा और समिति (Sabha And Samiti)

प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन में कानून का महत्वपूर्ण स्थान था। कानून के बल पर समाज में शांति व्यवस्था की जाती थी। कानून के निर्माण के लिए समय-समय पर जिन संस्थाओं का संगठन होता रहा वे भारत के राजनैतिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्राचीन भारत के आधुनिक संसद से मिलती हुई व्यवस्थापिका वर्तमान थी। इन्हीं संस्थाओं में सभा और समिति का नाम महत्वपूर्ण है।

सभा और समिति दोनों का वैदिक साहित्य में विशेष उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद के एक सूत्र में इन दोनों को प्रजापति की लड़का कहा गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों संस्थाओं को उस समय ईश्वर निर्मित माना गया है। प्राचीन भारत की परिषदों एवं व्यवस्थापिकाओं में सभाओं की ओर विद्वानों का अधिक ध्यान किया गया है। आलकी जी के अनुसार वैदिक-कालीन सभाओं को परिषद के नाम से पुकारा जाता था। दीक्षित के अनुसार - सभा के सदस्य मौलिक एवं कुलीन ब्राह्मण एवं मघवन हुआ करते थे। वास्तव में सभा वृद्ध लोगों के पहचान होती होती थी जिसके सदस्य प्रायः अच्छे वर्ग वाले हुआ करते थे। सभा के सदस्यों का चरित्र एवं विद्वता का स्तर इतना उच्च होता था कि सभी समूह उनका आदर करते थे। बौद्ध जातकों में कहा गया है कि सभा के सदस्य श्रेष्ठ होना चाहिए।

सभा के दो प्रकार के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। सभासद सभा की अन्य श्रेणी के सदस्य हुआ करते थे जो ग्रामपरिषद या न्यायालय के सदस्य भी बन जाते थे। अन्य सदस्य सभा या केवल महासभा के सदस्य ही होते थे। लुडविक का मत है कि पुरोहित तथा सामाजिक जैसे अन्य वर्ग के लोग हुआ करते थे। जबकि सभा के केवल कुलिन वर्ग के ~~सदस्य~~ लोग ही सदस्य बन सकते थे।

अल्टेकर का मत है कि सभा-समिति अधिवेशन नहीं बल्कि एक अलग संस्था थी। वैदिक साहित्य में उसका वर्णन अनेक अर्थों में किया गया है। सभा शब्द का वर्णन वेदों और ब्राह्मणों

Scanned with CamScanner

ब्राह्मण ग्रंथों में उस कुण्डली के लिए किया गया है। जिसमें कि मिलकर जुआ खेलने वाले अपनी पत्नि तक भी दाव पर लगा देते थे। उसमें कभी-कभी गाँव से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर विचार किया जाता था। अम्बेडकर के अनुसार, सभा प्राय: ग्राम संस्था थी। आरण्यक संहिता में यह स्वीकार किया गया है कि उस समय में दो प्रकार की सभाएं वर्तमान थी। प्रथम विद्वान पुरुषों की सभा थी तथा दूसरा साधारण व्यक्तियों की सभा। प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक काल में भी सभा था। वैदिक काल में सभा का रूप सार्वजनिक था जिसमें विद्वान पुरुष तथा दूसरे ऐसे ही कई लोग सम्मीलित होते थे। लेकिन यह अस्पष्ट है।

सभा के कार्यों के सम्बन्ध में भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। महाभारत में सभा को एक न्यायिक विकार्य कहा गया है। युधिष्ठर ने दुर्योधन के साथ जुआ खेलते हुए अपने आप तक हार गया, उसके बाद द्रोपदी को भी दाव पर लगा दिए। यह मामला सभा के प्रमुख विचार के लिए प्रकट किया गया। सभा ने कानूनी विचारों पर विचार करने के बाद पाण्डवों को दासता से मुक्त करने की आज्ञा दे दी। सभा के दूसरे कार्य को कार्यपालिका सम्बन्धी कहा गया है। इस रूप में राजा का एक परामर्शदाता निकाय थी। राजा सभा के सदस्यों के परामर्श लिए बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई भी राजा सभा की परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकता। सभा का तीसरा कार्य विश्रामगृह के रूप की सेवा के रूप में प्रदान करता था। महाभारत में दमयन्ती के सभा में विश्राम का उल्लेख मिलता है। धर्मसूत्र में कहा गया है कि राजा को दूरदर्शिता भी होना चाहिए।

समिति :→

वैदिक काल की सबसे बड़ी संस्था समिति थी। अर्थववेद में पहले सभा फिर समिति का नाम आता है। प्रारम्भ में प्रत्येक गाँव में एक प्रबन्धकारिणी संस्था होती थी। ऋग्वेद के अन्तिम अंग समिति को विद्वानों का एक संघ माना गया तथा

Scanned with CamScanner

सामाजिक स्वरूप पर जोर दिया जाता। समिति में राजा के लिए सदस्यों का सहयोग आवश्यकता समिति के सहयोग प्राप्त नहीं होने पर राजा का अस्तित्व खत्म हो सकता था। राजा के केन्द्रीय प्रशासन पर तथा सेना पर प्रभाव रहता था।

समिति के सदस्य व्यापक होते थे। सम्पूर्ण जनता के उसका सदस्य मानने का आधारभूत है कि राजा के निर्वाचन तथा निर्वाचकों के रूप में जनता एवं समिति शब्दों का वैकल्पिक रूप में प्रयोग किया जाता था। अनुमान है कि युग के मूल्यों के अनुसार उस योद्धाओं विद्वानों पुरोहितों धनी व्यक्तियों आदि का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता रहा होगा। अल्तेकर का कहना है कि समिति के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति होते थे। और शासनपद्धति पर उनका बड़ा प्रभाव रहता था। समिति में समाज के समस्त नागरिक होते थे। यह राष्ट्रीय सभा होती थी। राज्याभिषेक युद्ध अथवा राष्ट्रीय संकट जैसे अवसरों पर उसका अधिवेशन बुलाया जाता था। समिति में भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जाता था किन्तु मूल रूप से यह एक राजनीतिक संस्था थी।

समिति का कार्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना तथा राजा के सामने अपनी राय प्रस्तुत किया जाता था। समिति के सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त मत का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता था। समिति में वाद-विवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दों का निपटारा किया जाता था। राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले उत्सुक नये सदस्य भाषण के माध्यम से समिति को प्रभावित करने का कोशिश करते थे। कभी-कभी भाषण में तीव्रता भी आ जाती थी ऋग्वेद में एक स्थान पर इस बात के लिए प्रार्थना की गई है कि समिति की कारवाई सौहार्दपूर्ण हो।

समिति के लिए संगति तथा संग्राम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि इस संस्था का युद्ध से आवश्यक सम्बन्ध रहा होगा। समिति का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना तथा अपदस्थ राजा को पुनः निर्वाचन करना था।

Dr. Birendra Prasad Singh
Associate Professor
Deptt. of AIHAS
Shershah College Sasaram.